



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर, 2020

आश्विन 16, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 410/23-2-2020-52(सा10)-2020

लखनऊ, 8 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-268

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला मथुरा में यमुना नदी के स्यारहा घाट पर एक नए सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा दर्शित सीमाओं के भीतर जिला मथुरा में स्यारहा घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला मथुरा में स्यारहा घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तत्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, आगरा में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर पर परगना का नाम	नदी के दोनों ओर पर का नाम	नदी जिस पर नौकाघाट स्थापित किया जाना है	नौकाघाट का नाम	नौकाघाट की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
मथुरा	1-माट 2-छाता	1-सुरीर ओहावा 2-स्यारहा	यमुना नदी	स्यारहा घाट	"ए"

नौघाट की सीमा

धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के नीचे की ओर	दूरी
7	8	9	10
शेरगढ़	8 कि०मी०	बाबूगढ़	15.00 किमी०

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 410/XXIII-II-2020-52(Sa)-2020, dated October 8, 2020 for general information:

No. 410/XXIII-II-2020-52(Sa)-2020

Dated Lucknow, October 8, 2020

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the Yamuna River at Syaraha Ghat in district Mathura;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no.XVII of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new public ferry on the Syaraha Ghat in district Mathura within its limits as shown in the Schedule below.

Under section 6 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Syaraha Ghat in district Mathura shall vest in the Superintending Engineer, Agra Circle, Lok Nirman Vibhag, Agra.

SCHEDULE

Name of District	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of village on both sides of the river	Name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Mathurra	1-Mant 2-Chata	1-Surir Ohawa 2-Syaraha	Yamuna	Syaraha Ghat

Limit of Ferry				
Class of Ferry	Upstream	Distance	Down Stream	Distance
6	7	8	9	10
"A"	Shergarh	8.00 Km.	Babugarh	15.00 Km.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Pramukh Sachiv.